

समझौता ज्ञापन  
(वर्ष 2016-17)

के मध्य



नागर विमानन मंत्रालय

और



पवन हंस लिमिटेड

**पवन हंस लिमिटेड**

और

**नागर विमानन मंत्रालय**  
के मध्य

**समझौता ज्ञापन-2016-17**

क्र. सं.	भूत्याकान मानदंड	इकाई	शार	समझौता ज्ञापन लक्ष्य				
				उत्कृष्ट (100)	बहुत अच्छा (80)	उत्तम (60)	अच्छा (40)	निम्न (20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>(i) आमता उपयोग</b>								
	दोनों विशेष में भौतिक लक्ष्य - सेवा केसाक्षेत्र लिए - कुल बेड़े के 80% के प्रतिशत के रूप में बेड़े तैनाती	%	10%	88%	85%	83%	81%	79%
<b>(ii) दक्षता मानदंड (भौतिक परिचालन)</b>								
	क. उत्पादन असता - आधार के विचुल्द क्षेत्र विशिष्ट परिणाम उत्पाद दक्षता मानक - (i) पिछले वर्ष की तुलना में सेवाप्रयोज्यता में प्रतिशत वृद्धि	%	5%	6.0%	2.0%	1.5%	1.0%	0.5%
	(ii) पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन की लागत में कटौती (उड़ान प्रति घंटे)	%	5%	4%	3%	2%	1%	0%
	ख. प्रौद्योगिकी उन्नयन - प्रौद्योगिकी / परिचालन वातावरण के उन्नयन के लिए क्षेत्र विशेष कदम - (i) 5 और्पिन एन 3 हेलीकोप्टर पर उड़ान ट्रूकिंग सिस्टम की स्थापना	तिथि	3%	01.01.2017	15.01.2017	31.01.2017	15.02.2017	28.02.2017
	(iii) इआरपी 2001 का नवीनीतम चरण में उत्पादन और इसका मानव संसाधन विभाग में कार्यालयन	तिथि	2%	01.01.2017	15.01.2017	31.01.2017	15.02.2017	28.02.2017
<b>(iii) तिवल संपत्ति का सामग्री</b>								
	पूर्णिगत व्यय	रु./करोड़	15%	63	60	57	51	44
<b>(iv) निगरानी मानदंड</b>								
	वर्ष के दौरान चल रहे / पूर्ण हुए अनुबंधों के पूर्णिगत व्यय के कुल मूल्य से वर्ष के दौरान बिना समय / लागत से पछ्चे चल रहे अनुबंधों / परियोजनाओं के पूर्णिगत मूल्य का प्रतिशत	%	5%	100%	90%	80%	70%	60%
<b>(v) परिचालनों के लिए टर्मजोबर्ट</b>								
	परिचालन से राजस्व (उत्ताद शुल्क को घटाकर)	रु./करोड़	5%	520	515	510	500	490

क्र. सं.	मूल्यांकन मापदंड	इकाई	आर	मानदंड मात्र				
				उक्ति (100)	बहुत अच्छा (80)	उत्तम (60)	अच्छा (40)	विक्रम (20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(vi)	प्रारिचालन लाभ / अधिशेष							
	कर्म पूर्वी लाभ (अन्य आय को छोड़कर, असाधारण और अपवादात्मक मद्दत)	रु./करोड़	10%	61	58	55	52	49
(vii)	शिक्षितता के आरंभिक स्तर							
	नीतीयांगर्द के संबंध में सिद्धों वर्ष के दौरान ज्ञान के रूप में न स्थिकार किए गए कंपनी के विनुद्द दावों में कमी	%	5%	80%	70%	60%	50%	40%
(viii)	विषयान दक्षता अनुपात							
	क) क्षेत्र विशेष परिणाम मूलक मानने योग्य मानदंड - ग्राहक संसुटि सूचकांक (सीएसआई) सर्वेक्षण तिसरे पक्ष द्वारा ही विधा जाएँ।	5 विडु वाले पैमाने पर	5%	4.50	4.30	4.20	4.10	4.00
	ख) परिचालन से राजनन्दन के प्रतिशत के रूप में आपार प्राप्त्य (संकलन)	%	5%	40%	42%	44%	48%	56%
(ix)	लाभ अर्द्धक कैसासेउमों के लिए निवेश पर प्रतिलिपाम							
	i) लाभांश / कर प्राप्त लाभ	%	5%	30%	29%	28%	27%	26%
	ii) कर प्राप्त लाभ / निवल मूल्य या शेयरधारकों की निधि	%	10%	8.10%	6.95%	6.45%	5.95%	5.45%
	iii) लाभांश / निवल मूल्य	%	5%	2.43%	2.02%	1.81%	1.61%	1.42%
(x)	क्षेत्र / कैसासेउ विशेष लक्ष्य							
	(i) विनात वर्ष के दौरान वार्तिक उड़ान के प्रति 20000 चंदों में प्रतिवेदन योग्य घटनाओं में कमी (संख्या प्रवृद्धत प्राप्ताली)	संख्या	3%	4	3	2	1	0
	(ii) इसके अनन्त राष्ट्रीय विमानसंसद्या एवं सेवा सम्बन्धान (एनआईएग्मएस) में राजस्व प्रतिमान पर वाही-पायलटों / हूँडीनियरों / तकनीशियों की प्रशिक्षण।	संख्या	2%	100	90	80	70	60
	1. लक्ष्य 2015-16 के लिए सीधीएसई द्वारा प्रस्तुत अनतिम आकड़ों पर आधारित हैं। अनतिम आकड़ों की तुलना में वर्ष 2015-16 के द्वैरान सीधीएसई के वेहतर प्रदर्शन के मामले में वर्ष 2015-16 के लिए वार्ताविक उपलब्धिएँ और सीधीएसई द्वारा प्रस्तुत प्राक्तिकानों के मध्य अंतर को कोर्ट 2016-17 के लक्ष्य में जोड़ दिया जाएगा।							
	2. जहां कहीं भी उपलब्धिक वार्तिक प्रियोर्टे से स्थानान्तर नहीं है, उसका स्थानान्तर प्रमाण पत्र के माध्यम से निवेशक महल के संकलन के आधार पर किया जाएगा।							
	3. समझौता जापन में निर्मित लक्ष्य विना गर्त के हैं और किसी भी हालत में किसी समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अन्तिरिक मूल्यांकन समझौता जापन दिशानिर्देश 2016-17 के अनुच्छेद 14.2 और 14.3 से निहित अन्तिरिक योग्यता मानकों की अनुपालनना के विषयाधीन होगा।							

(आर. एन. चौधरी)

सचिव

नागर विभाग मंत्रालय

दिनांक 28.11.2016

(डॉ. पी. एन. शर्मा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
पवन हंस लिमिटेड

## केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा स्व घोषणा / सत्यापन

दूर्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि समझौता ज्ञापन मानकों के संबंध में लक्ष्यों और वास्तविक लक्ष्यों को वर्ष 2016-17 के समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में विनिर्धारित मानकों और परिभाषाओं अंगीकृत करते हुए तैयार किया गया है। किसी भी समय यदि कोई विचलन पाया जाता है तो वर्जनिक उपक्रम विभाग समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र है। केंद्रीय वर्जनिक क्षेत्र उपक्रम का इस संबंध में दावे का कोई अधिकार नहीं होगा।

  
38/11/16  
(डॉ. बी. पी. शर्मा)  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
पवन हंस लिमिटेड